रीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 58/2018 अनवान हनुमानराम बनाम चिमाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
कलक्टर (S D O) बाड़मेर	चिमाराम के साथ सह खातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाडमेर	

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 58/2018 अनवान हनुमानराम बनाम चिमाराम

निर्णय

18.07.2018

वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी का रिश्ता पिता–पुत्र का है, जो हिन्दु विधि से शासित है। प्रतिवादी की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 71 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 388/70 रकबा 45.01 बीघा, खसरा संख्या 395/76 रकबा 05.10 बीघा, खसरा संख्या 399/77 रकबा 23.16 बीघा, खसरा संख्या 422/359 रकबा 13.19 बीघा कुल रकबा 89.01 बीघा भूमि आई हुई है। पैतृक भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादीगण का जन्म से खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते है। वादीगण ने अपने पिता की खातेदारी भूमि में सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी चिमाराम ने इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादीगण को प्रतिवादी की खातेदारी भूमि में सहखातेदार घोषित किये जाने की सहमति प्रकट की है। प्रतिवादी चिमाराम ने यह भी अंकित किया कि उक्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी बनते है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा गरल पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 71 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 388/70 रकबा 45.01 बीघा, खसरा संख्या 395/76 रकबा 05.10 बीघा, खसरा संख्या 399/77 रकबा 23.16 बीघा, खसरा संख्या 422/359 रकबा 13.19 बीघा कुल रकबा 89.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी चिमाराम के साथ सह खातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner